न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03/2025 (बांसवाड़ा डिक्री)

धनजी पिता दितिया, जाति भील, निवासी गोरछा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. दलजी पिता दितिया, जाति भील, निवासी गोरछा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार, घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान काश्त. अधि. –1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, घाटोल दि0 11.01.2023 प्रकरण संख्या 25/2017

---::---

उपस्थित :– 1– श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री पैरोकार सरकार

---::---

निर्णय **दिनांक 28–08–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गोरछा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खाता संख्या 135 की की भूमि स्थित है, जिसमें दोनों का 1/2, 1/2 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। वादी व प्रतिवादी की वंशावली निम्नानुसार है :–

दितिया पिता धारिया

नगजी (लाऔलाद फोत)	धनजी (प्रति. संख्या 1)	दलजी (वादी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.24 16:24:10 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

मूलपुरूष दितीया होकर उनके तीन पुत्र नगजी, धनजी व दलजी हुए, जिसमें से नगजी लाऔलाद फोत होने से धनजी व दलजी को 1/2, 1/2 हिस्सा प्राप्त हुआ, लेकिन नगजी के खाते की समस्त भूमि धनजी के नाम अंकित हो गयी, वादी का नाम अंकित होने से रह गया। खसरा नंबर 871 रकबा 0.79 हैक्टर भूमि साबिक नंबर 109 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि संवत 2005 से 2008 एवं 2013 से 2016 तक वादी एवं प्रतिवादी के नाम दर्ज रही तथा ग्राम गोलछा के पिता के अन्य खाते में वादी का नाम दर्ज है, लेकिन साबिक नंबर 109 के नये नंबर 871 रकबा 0.79 हैक्टर भूमि में वादी का नाम जुड़ना रहा गया तथा उक्त खेत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रह जाने से आये दिन विवाद होता है। अतः खाता संख्या 135 की आराजी नंबर 871 रकबा 0.79 हैक्टर में 1/2 हिस्से का वादी सहखातेदार घोषित किया जाकर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नंबर 871 रकबा 0.79 हैक्टर प्रतिवादी द्वारा निकाली जाने से उसका एक मात्र मालिक है। उक्त आराजी दितीया की नहीं होकर प्रतिवादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसमें वादी का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर 3 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 11–01–2023 से वादीगण का वाद स्वीकार का आराजी नंबर 871 रकबा 0.79 हैक्टर के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17–03–2023 को प्रस्तुत की गई है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार [illegible] उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.24 16:24:10 IST
Reason: SelfAttested

मु.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

5. विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तनकी नंबर 1 का निर्णय वादी के पक्ष में करने में भारी भूल की है, क्योंकि आराजी नंबर 871 रकबा 0.79 हैक्टर का एक मात्र मालिक अपीलान्ट है, उक्त भूमि दितीया की नहीं होने से वादी का उसमें कोई हक हिस्सा नहीं है। मौके पर शुरू से ही उक्त भूमि पर कब्जा अपीलान्ट का चला आ रहा है। उक्त भूमि पैत्रृक नहीं है, बल्कि अपीलान्ट द्वारा निकाली गयी है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

6. विद्वान पैरोकार सरकार ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रदर्श 5 व 6 खसरा गिरदावरी अनुसार साबिक आराजी नंबर 109 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि नाम कृषक के कॉलम में दितीया पिता धारिया का नाम दर्ज है तथा जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 प्रदर्श 7 में उक्त आराजी नंबर 109 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि धनजी, नगजी पिता दितीया के नाम दर्ज है एवं मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 4 अनुसार साबिक आराजी नंबर 109 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा से हाल आराजी नंबर 871 रकबा 0.79 हैक्टर बनना स्पष्ट है, जबकि हाल जमाबन्दी में आराजी नंबर 871 रकबा 0.79 हैक्टर अकेले अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज है, किन्तु खसरा गिरदावरी व जमाबन्दी संवत 2035 से 2038 के अवलोकन से विवादित भूमि दितीया को होना स्पष्ट है, क्योंकि वादी द्वारा प्रस्तुत सजरे अनुसार नगजी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का सगा भाई होना स्पष्ट है इसी कारण जमाबन्दी संवत 2035 से 2038 में धनजी के साथ नगजी का नाम भी दर्ज है। अपीलान्ट/प्रतिवादी ने वादी द्वारा प्रस्तुत सजरे से भी इंकार नहीं किया है। उक्त समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी नंबर 871 रकबा 0.79 हैक्टर, जिसके साबिक आराजी नंबर 109 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा थे, का मूलखातेदार दितीया था, लेकिन उक्त भूमि धनजी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.24 16:24:10 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

नगजी के नाम आयी। दलजी जो धनजी व नगजी का तीसरा भाई था, उसका पैत्रक भूमि में समान हक अधिकार होते हुए भी खाते में नाम दर्ज नहीं होने से उसके द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए आराजी नंबर 871 रकबा 0.79 हैक्टर में 1/2 हिस्से का वादी को खातेदार घोषित किया एवं विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

8. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री 11–01–2023 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28–08–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

28-8-25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.24 16:24:10 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम........**उदयपुर**........
व इजलास ....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** ....

धनजी पिता दितीया, जाति भील, नि0 गोरछा, तह0 घाटोल, जिला बांसवाड़ा	बनाम	**दलजी पिता दितिया, जाति भील, नि0 गोरछा, तह0 घाटोल, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.......**03/2023**...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**......
.........**घाटोल**... मुकाम..............मुवर्खे.........**11**...........माह..........**01**..........**2023**...............

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**28**....माह......**08**....सन् **2025** रूबरू..........**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री यशपाल गुप्ता**...मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री पैरोकार सरकार**

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय 11–01–2023 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)....रूपये...... **X**........ अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**28**.......माह.......**08**..........**2025**........ को जारी किया गया।

28.8.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ★ उदयपुर ★ सत्यमेव जयते

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील .... 2. स्टाम्प वकालत नामा 3. इजराय हुक्मनामा .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.......... मीजान ...		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अदा का.... डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.24 16:24:10 IST
Reason: SelfAttested